राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1921/2024

प्रेम प्रकाश शर्मा
विश्वेन्द्र सिंह गुर्जर –अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय माध्यमिक) भरतपुर, जिला भरतपुर।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पहाड़ी, भरतपुर।
6. कुलदीप सिंह राजपुत, वरिष्ठ सहायक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, करौली।
7. गोपाल शर्मा, वरिष्ठ सहायक जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) (माध्यमिक), करौली, जिला करौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 31.05.2024
आदेश की दिनांक : 09.12.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की आरे से : श्री दलबीर सिंह, प्रभारी अधिकारी

समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थीगण राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड–II) के पद पर चयनित हुए। अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी विभाग की ओर से की गई कार्यवाही को चुनौती दी है जिसके द्वारा उन्होंने उन व्यक्तियों को पदोन्नति दी है जो अपीलार्थीगण से कनिष्ठ हैं और अपीलार्थीगण को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति से वंचित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 08.08.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थीगण को शिक्षा विभाग में नियुक्ति के लिए भरतपुर जिला आवंटित किया गया। अपीलार्थीगण को आदेश दिनांक 08.09.2022 (अनुलग्नक–3) द्वारा स्थाई किया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 19.11.2022 (अनुलग्नक–4) द्वारा कनिष्ठ सहायकों की अनंतिम (provisional) पात्रता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थीगण का नाम शामिल नहीं किया गया। अपीलार्थीगण ने दिनांक 22.11. 2022 (अनुलग्नक–5) द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को आपत्तियां प्रस्तुत की, जिसमें उल्लेख किया गया कि क्रमांक 521, 522 और 523 के उम्मीदवार मेरिट संख्या

आर–1211, आर–1213 एवं आर–1323 है, जबकि अपीलार्थीगण की मेरिट संख्या 1183 एवं 1161 है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने भी आपत्तियों को उसी दिन दिनांक 22.11.2022 (अनुलग्नक–6) द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को अग्रेषित कर दिया। अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 17.08.2023 (अनुलग्नक–7) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था ताकि क्रम संख्या 520 पर उम्मीदवार के ठीक बाद उम्मीदवार के समक्ष अपीलार्थीगण का नाम शामिल किया जा सके। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पहाड़ी ने पुनः दिनांक 17.08.2023 (अनुलग्नक–8) को अभ्यावेदन अग्रेषित किया। अपीलार्थीगण का नाम आदेश दिनांक 04.09.2023 (अनुलग्नक–9) द्वारा कनिष्ठ सहायक की अंतिम वरिष्ठता सूची में शामिल किया गया। उसके बाद दिनांक 21.09.2023 तक कनिष्ठ सहायक की अंतिम पात्रता जारी की गई, लेकिन फिर से अपीलार्थीगण का नाम शामिल नहीं किया गया (अनुलग्नक–10)। अंतिम पात्रता सूची दिनांक 21.09.2023 जारी होने के पश्चात अपीलार्थीगण ने पुनः आवेदन प्रस्तुत किया कि उनकी उम्मीदवारी जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश दिनांक 04.09.2023 के अन्तर्गत वरिष्ठता वर्ष 2017–2018 की जिला वरिष्ठता क्रमांक 53–1 एवं 53–2 में सम्मिलित किये जाने का आदेश था, परन्तु अभी भी उनका नाम 21.09.2023 की पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया (अनुलग्नक–11)। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 27.09.2023 (अनुलग्नक–12) द्वारा पुनः पत्र अग्रेषित किया गया। उसके बाद दिनांक 21.09.2023 की अनंतिम पात्रता सूची के आधार पर आदेश दिनांक 16.03.2024 (अनुलग्नक–13) द्वारा अपीलार्थीगण की तुलना में योग्यता में कम और वरिष्ठता सूची में निचले स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति दी गई है और अपीलार्थीगण को इससे वंचित रखा गया। अपीलार्थीगण ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 6564/2024 दायर की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 06.05.2024 (अनुलग्नक–14) द्वारा माननीय अधिकरण में अपील दायर करने की स्वतंत्रता दी गई।

अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थीगण को सभी पारिणामिक लाभों के साथ रिव्यू डीपीसी आयोजित करके डीपीसी वर्ष 2023–2024 के विरूद्ध वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया जावे एवं आदेश दिनांक 15.10.2024 को अपास्त फरमाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि कनिष्ठ सहायक का पद जिला स्तरीय पद है तथा वरिष्ठ सहायक का पद मण्डल स्तरीय पद है। कनिष्ठ सहायक के पद से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति, जिला स्तर पर निर्मित वरिष्ठता सूची के आधार पर मण्डल स्तर पर

संधारित मिश्रित वरिष्ठता सूची के आधार पर की जाती है। अपीलार्थीगण का नाम जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक भरतपुर के आदेश दिनांक 04.09.2023 (प्रदर्श–9) के द्वारा कनिष्ठ सहायकों की जिला स्तरीय स्थाई वरिष्ठता सूची में दर्ज/नामांकित किया गया है तथा अपीलार्थीगण कार्मिक का नाम मण्डल स्तरीय वरिष्ठता सूची में दिनांक 20.02.2024 को नामांकित/दर्ज किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण कार्मिक डीपीसी वर्ष 2023–2024 (आधार तिथि दिनांक 01.04.2023) को वरिष्ठता सूची में नामांकित नहीं होने के कारण पदोन्नति की पात्रता धारित नहीं करते है। उक्त नामांकन के आधार पर आगामी पदोन्नति के समय अपीलार्थीगण के नाम पर आवश्यक विचार कर लिया जावेगा। वर्ष 2023–2024 की रिक्तियों के प्रति डीपीसी हेतु आधार दिनांक 01.04.2023 रहेगी। उक्त डीपीसी वर्ष की आधार दिनांक 01.04.2023 को अपीलार्थीगण का नामांकन जिला स्तरीय तथा मण्डल स्तरीय वरिष्ठता सूची में उपलब्ध नहीं था। अपीलार्थीगण का जिला स्तरीय वरिष्ठता सूची में नामांकन प्रदर्श–9 आदेश दिनांक 04.09.2023 के द्वारा किया गया है, जिससे अपीलार्थीगण डीपीसी वर्ष 2023–2024 में पदोन्नति की पात्रता धारित नहीं करते है। पात्रता सूची में उन्हीं कार्मिकों के नाम सम्मिलित किये जाते है, जिनके नाम वरिष्ठता सूची में दर्ज होते है, पात्रता सूची पर जो आपत्तियों आमंत्रित की जाती है वे इस सन्दर्भ में आमंत्रित की जाती है कि किसी कार्मिक के नाम, जन्मतिथि, संवर्ग इत्यादि के अंकन में कोई त्रुटी हो तो उससे संबंधित कार्यालय को अवगत करवाया जावे, जिससे उक्त त्रुटी का संशोधन किया जा सके। पात्रता सूची वरिष्ठता सूची के आधार पर तैयार/निर्मित की जाती है तथा पात्रता सूची में स्थान धारित करने हेतु वरिष्ठता सूची में उचित स्थान पर नामांकन होना आवश्यक है। अपीलार्थीगण कार्मिकों का वरिष्ठता सूची में नामांकन आदेश दिनांक 04.09.2023 (प्रदर्श–9) के द्वारा किया गया है इसलिए ही अपीलार्थीगण के नाम पात्रता सूची में अंकित नहीं किये गये। अपीलार्थीगण का वरिष्ठता सूची में नामांकन दिनांक 04.09.2023 को होने के कारण अपीलार्थीगण कार्मिक दिनांक 01.04.2023 से पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। पात्रता सूची में उन्हीं कार्मिकों के नाम सम्मिलित किये जाते है, जिनके नाम वरिष्ठता सूची में दर्ज होते है, पात्रता सूची मण्डल स्तर पर जारी की गई है तथा मण्डल स्तरीय वरिष्ठता सूची में अपीलार्थीगण कार्मिकों के नाम दिनांक 20.02.2024 को नामांकित किये गये है तथा अपीलार्थीगण दिनांक 01.04.2023 की स्थिति में वरिष्ठता सूची में नाम दर्ज नहीं होने के कारण पदोन्नति की पात्रता धारित नहीं करते है। प्रत्यर्थीगण द्वारा जारी किये गये पदोन्नति आदेश दिनांक 06.03.2024, डीपीसी वर्ष 2023–2024 की आधार दिनांक 01.04.2023 की स्थिति में वरिष्ठता सूची में नामांकन के आधार पर जारी किये गये है। अपीलार्थीगण का वरिष्ठता सूची में नामांकन दिनांक 04.09.2023 को होने

के कारण अपीलार्थीगण कार्मिक दिनांक 01.04.2023 की स्थिति में पदोन्नति की पात्रता नहीं रखते है। अतः अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाने योग्य है।

हमने प्रत्यर्थी विभाग एवं अपीलार्थीगण को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थीगण ने वरिष्ठ सहायक वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु रिव्यू डीपीसी अयोजित कर अपीलार्थीगण को पदोन्नति प्रदान करने का अनुतोष सभी परिणामिक परिलाभों सहित चाहा है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण का नाम प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कनिष्ठ सहायक की जारी वरिष्ठता सूची और पात्रता सूची में अंकित नहीं किये जाने पर अपीलार्थीगण द्वारा एक अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को दिया गया, जिसके आधार पर अपीलार्थीगण कनिष्ठ सहायक वरिष्ठता सूची में आदेश दिनांक 04.09.2023 को जोड़ा गया। प्रत्यर्थी विभाग का यह कथन है कि जिला स्तरीय और मंडल स्तरीय वरिष्ठता सूची में दिनांक 01.04.2023 अपीलार्थीगण का नाम उपलब्ध नहीं होने का आधार पर डीपीसी वर्ष 2023–24 में पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। प्रत्यर्थी विभाग का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि कनिष्ठ लिपिक पर नियुक्ति के समय पर अपीलार्थीगण निजी प्रत्यर्थीगण कुलदीप सिंह राजपूत एवं गोपाल शर्मा से वरिष्ठ है। साथ ही कनिष्ठ सहायक की वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु जारी पात्रता सूची दिनांक 19.11.2022 में अपीलार्थीगण का नाम शामिल नहीं होने पर उसके द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की है एवं वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्निति हेतु जारी पात्रता सूची में अपीलार्थीगण के नाम शामिल नहीं किया गया, जिसमें पुनः अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 17.08.2023 को पुनः आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिस पर विभागीय आदेश दिनांक 04.09.2023 द्वारा अपीलार्थीगण को कनिष्ठ सहायक की स्थाई वरिष्ठता सूची में विश्वेन्द्र सिंह गुर्जर का नाम कमांक 53–1 पर एवं प्रेम प्रकाश शर्मा का नाम वरिष्ठता कमांक 53–2 पर शामिल किया गया है। उपलब्ध सामग्री से यह भी स्पष्ट है कि निजी प्रत्यर्थी जो नियुक्ति के समय से अपीलार्थीगण से कनिष्ठ है। उनको अपीलार्थीगण से पहले वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थीगण को पदोन्नति से वंचित रहने का एक मात्र कारण यह रहा है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी वरिष्ठता सूची एवं पात्रता सूची में अपीलार्थीगण का नाम शामिल नहीं किया गया था, जबकि अपीलार्थीगण द्वारा समय–समय प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की जाती रही है। लोक सेवकों के रिकॉर्ड का सहीं संधारण करने दायित्व प्रत्यर्थी विभाग का है तथा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा की गई किसी भी लापरवाही के कारण अपीलार्थीगण को उसके जायज हक से वंचित नहीं किया जा सकता है।

अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थीगण की वरिष्ठता के अनुरूप डीपीसी वर्ष 2023–24 में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाने हेतु रिव्यू डीपीसी आयोजित की जावे और वरिष्ठ सहायक पद के समस्त परिलाभों उस तिथी से प्रदान की किए जावे जिस तिथी से अपीलार्थीगण से कनिष्ठ लोक सेवकों को प्रदान किए है। प्रत्यर्थी विभाग को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त समस्त कार्यवाही तीन माह के अन्तर्गत पूर्ण की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)